न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S
राजस्व वाद संख्या : 02/24 (वि.प्रा.पत्र)
GCMS No: 2024/35

1. श्री रामा पिता कालु उर्फ काल्या दादा उदा गाडरी निवासी गाडरियावास कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............अपीलांट

बनाम्

1. श्री उंकारलाल पिता रामा दादा पेमा गाडरी निवासी गाडरियावास, कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री हिरालाल पिता रामा दादा पेमा गाडरी निवासी गाडरियावास, कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..............रेस्पॉडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलांट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 08.08.2024

1. अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई भू–अभिलेख निरिक्षक कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में अपीलान्ट रामा के खातदेारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की खाता न. 163 कृषि, आराजी न. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 167, 168, 2, 229, 35, 447, 448, 449, 529, 530, 541, 547, 790, 791, 792 किता 21 रकबा 3.6900 है. हिस्सा पुर्ण रामा पिता कालु गाडरी एवं खाता न. 103 खसरा आराजी चाह न. 548 रकबा 0.0600 है. का 1/5 हिस्सा रामा पिता काल्या गाडरी के नाम पर अंकित था जिसे जेर बहस नामान्तरण से रामा पिता कालु उर्फ काल्या की विरासत से रेस्पाडेन्ट स. 1 व 2 के नाम हिस्सा बराबर से गलत खातेदारी में अंकित कर दी। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरण को स्वीकृत करने से पूर्व यह तय नहीं की गयी कि जिस भूमि का वे विरासत का नामान्तरण दर्ज कर रहे है वह जिवित है या मृत्यु हो चुकी है अतः जेर बहस नामान्तरण निरस्त होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedia
Date: 2025.02.06 15:36:55 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वास्तविकता यह है कि हमारे गांव गाडरियावास कुण्डई तहसील भीण्डर में गाडरी जाति में एक ही नाम के दो व्यक्ति थे जिसका नाम रामा पिता कालु गाडरी था लेकिन दोनो रामा पिता कालु के पिता का नाम तो समान था, लेकिन दोनो रामा के दादा का नाम अलग–अलग था। अपीलान्ट के पिता का नाम कालु एवं दादा का नाम उदा एवं परदादा का नाम अमरा है एवं रेस्पाडेन्ट स. 1 व 2 के पिता का नाम रामा एवं दादा का नाम कालु एवं परदादा का नाम पेमा हैं। रेस्पोडेन्ट स. 1 व 2 के पिता रामा पिता कालु का निधन 20.02.2022 को हुआ ओर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मृतक रामा के पुत्र हिरालाल ने दिनांक 26.05.2022 को शपथ पत्र जारी किया गया एवं जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिला वो रेस्पाडेन्ट स. 1 व 2 के पिता रामा पिता कालु गाडरी के नाम का मिला जबकि अपीलान्ट रामा पिता कालु स्वयं जीवित है लेकिन ग्राम कुण्डई में एक ही नाम रामा पिता कालु गाडरी के दो व्यक्ति होने से राजस्व विभाग द्वारा मृतक रामा पिता कालु की विरासत का नामान्तरण दर्ज करते हुए अपीलान्ट रामा पिता कालु गाडरी (जीवित) की भूमि का नामान्तरण भी मृतक रामा पिता कालु गाडरी के वारिसान के नाम पर विवरण अंकित कर दिया एवं इस नामान्तरण को ग्राम पंचायत ने भी बिना जांच किये, जीवित रामा पिता कालु गाडरी की भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर कानूनी भूल करते हूए मृतक रामा पिता कालु गाडरी के वारिसान के नाम पर अंकित कर दिया जो वाकियाती भूल की हैं जब कि ग्राम पंचायत को कथित नामान्तरण स्वीकृत करने से पहले इस मामले की गहनता से जांच करनी चाहिये थी। इस प्रकार इस मामले में रेस्पोडेन्ट स. 1 व 2 के पिता मृतक रामा पिता कालु दादा पेमा गाडरी का निधन हुआ है ओर अपीलान्ट रामा पिता कालु गाडरी जो कि जीविज है उसकी भूमि का सेवहन से गलती से विरासत के नामान्तरण में अंकन कर दिया जब कि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ओर इस नामान्तरण को गलत रूप से स्वीकार कर दिया गया है जब कि अपीलान्ट स्वयं रामा पिता कालु गाडरी जीवित है ओर अपीलान्ट एवं रेस्पाडेन्ट की भूमि पर रेस्पाडेन्ट काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे कथित नामान्तरण विधि के प्रावधानों के विपरित स्वीकृत हो गया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

3. यह कि इस प्रकार कथित नामान्तरण सेवहन से भर कर गलत रूप से अपीलान्ट की भूमि को भी इसमे शामील करते हूए स्वीकृत कर दिया गया है जो नामान्तरण शुरू से ही अपीलान्ट के मुकाबले अवैध हासिल हुआ है और [illegible] अवैध नामान्तरण के आधार पर रेस्पाडेन्ट की किसी प्रकार के कोई [illegible] अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा रेस्पाडेन्ट सं. 1 व 2 ने यह जानते हुए कि उक्त [illegible] में वर्णित भूमि के न तो रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी खातेदार थे और न [illegible] मौके पर उनका कब्जा है न ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

भूमि से उनका कोई संबंध हैं उसके उपरान्त भी उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने छल कपट एवं बेईमानी पूर्वक अपीलान्ट को नाजायज नुकसान पहूंचाने एवं स्वयं द्वारा नाजायज लाभ अर्जित करने की बदनीयत से रेस्पाडेन्ट सं. 1 ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीण्डर जिला उदयपुर से एवं रेस्पाडेन्ट स. 2 ने आई.सी.आई.सी.आई बैक शाखा भीण्डर जिला उदयपुर से गलत तरिके से ऋण प्राप्त कर लिया है. जिस ऋण की अदायगी करने के लिए अपीलान्ट उतरदायी नही है। रेस्पोडेन्ट स. 3, 4 शाखा प्रबंधक ने रेस्पाडेन्ट स. 1 व 2 को गलत तरिको से ऋण जारी किया हे जिसके लिए स्वयं शाखा प्रबंधक एवं रेस्पाडेन्ट सं. 1 व 2 उत्तरदायी हैं।

4. यह कि जेर बहस नामान्तरण से अपीलान्ट का जेर बहस भूमि खाता न. 163 की सम्पूर्ण एवं खाता न. 103 के 1/5 हिस्से की भूमि का हक हिस्सा प्रभावित हुआ है ओर रेस्पोडेन्ट के नाम गलत रूप से कराये गये अकंन को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के हक व अधिकारों को चुनोती दे रहें है, जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है, जबकि जेर बहस अपील में वर्णित भूमि अपीलान्ट को उसके परिवार में दोला पिता माना गाडरी की विरासत के नामान्तरण सं. 193 से प्राप्त हुई। अतः जेर बहस नामान्तरण को निरस्त कर अपीलान्ट की भूमि अपीलान्ट के नाम पुनः खातेदारी से अंकित किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पॉडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पॉडेन्टस संख्या 1 से 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर कहा की ग्राम कुण्डई में स्थित भूमि जिसके खाता संख्या 163 व 103 की भूमि अपीलान्ट रामा पिता कालु दादा उदा के नाम पर अंकित की जाती है तो हमे कोई आपत्ती नहीं हैं साथ ही लोन की राशि जमा कराने हेतु कहा। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने लोन की राशि जमा करा कर नो ड्यू सर्टिफिकेट पेश किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया तथा अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का जवाब का अवसर बन्द किया गया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी। बहस में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। रेस्पॉडेन्ट्स संख्या 1, 2 द्वारा अपील स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:36:55 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 15.07.2022 को ग्राम पंचायत कुण्डई द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर मयाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के कथनानुसार मौजा कुण्डई, पटवार हल्का कुण्डई, तहसील भीण्डर में गाडरी जाति में एक ही नाम के दो व्यक्ति थे जिसका नाम रामा पिता कालु गाडरी था लेकिन दोनो रामा पिता कालु के पिता का नाम समान था लेकिन दोनो रामा के दादा का नाम अलग-अलग था। अपीलान्ट के पिता का नाम कालु एवं दादा का नाम उदा एवं परदादा का नाम अमरा है एवं रेस्पाडेन्ट स. 1 व 2 के पिता का नाम रामा एवं दादा का नाम कालु एवं परदादा का नाम पेमा हैं। रेस्पोडेन्ट स. 1 व 2 के पिता रामा पिता कालु का निधन 20.02.2022 को हुआ ओर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मृतक रामा के पुत्र हिरालाल ने दिनांक 26.05.2022 को शपथ पत्र जारी किया गया एवं जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिला वो रेस्पोडेन्ट स. 1 व 2 के पिता रामा पिता कालु गाडरी के नाम का मिला जबकि अपीलान्ट रामा पिता कालु स्वयं जीवित है लेकिन ग्राम कुण्डई में एक ही नाम रामा पिता कालु गाडरी के दो व्यक्ति होने से राजस्व विभाग द्वारा मृतक रामा पिता कालु की विरासत का नामान्तरण दर्ज करते हुए अपीलान्ट रामा पिता कालु गाडरी (जीवित) की भूमि का नामान्तरण भी मृतक रामा पिता कालु गाडरी के वारिसान के नाम पर विवरण अंकित कर दिया एवं इस नामान्तरण को ग्राम पंचायत ने भी बिना जांच किये, जीवित रामा पिता कालु गाडरी की भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर कानूनी भूल करते हूए मृतक रामा पिता कालु गाडरी के वारिसान के नाम पर अंकित कर दिया जिससे अपीलान्ट द्वारा नामान्तरण खारिज किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर अपील स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। प्रकरण में सजरे से स्पष्ट है कि अपीलान्ट रामा के पिता का नाम कालु हैं तथा अपीलान्ट के दादा का नाम उदा हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पिता का नाम रामा है तथा दादा का नाम कालु है तथा परदादा का नाम पेमा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पिता रामा फौत होने से तथा ग्राम कुण्डई में एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से [illegible] संख्या 1, 2 के पिता रामा का नामान्तरण खोलते समय त्रुटि [illegible] से अपीलान्ट रामा पिता कालु दादा उदा (जीवित) के नाम दर्ज भूमि को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के नाम दर्ज कर दी जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:36:55 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 45 को त्रुटि पुर्ण माना जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कुण्डई द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 45 आंशिक रूप से त्रुटि पूर्ण हैं। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीण्डर से व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा भीण्डर से ऋण लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा ऋण की राशि जमा करा कर नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बिना जांच किये ऋण जारी किया गया जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार यह सिद्ध होता कि ग्राम पंचायत कुण्डई द्वारा पारित नामांतरण संख्या 45 दिनांक 15.07.2022 को आंशिक त्रुटिपुर्ण तरीके से पारित किया गया है जो आंशिक रूप से खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 15.07. 2022 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता हैं (मौजा कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 163 व खाता संख्या 103 के हद तक अपास्त किया जाता है)। तथा आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या नया 163, 103 में दर्ज खातेदार उंकारलाल पुत्र रामा जाति गायरी, हिरालाल पुत्र रामा जाति गायरी के बजाय अपीलान्ट रामा पिता कालु उर्फ काल्या दादा उदा का नाम दर्ज किया जावें तथा उक्त खाता नम्बर से रहन का अंकन हटाया जावें। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीण्डर अपने ऋण की राशि बाकीदार की अन्य भूमि से वसूल करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:36:55 IST
Reason: SelfAttested